पंजीयन क्र. 01/01/01/21204/09 पंजी. क्र. 316

म.प्र वेअरहाउसिंग एवं लाजिस्टिक्स कार्पो. फील्ड स्टॉफ एम्प्लाइज एसोसियेशन

निगम से मान्यता प्राप्त संघ

कार्यालय : 229 सी सेक्टर सर्वधर्म कॉलोनी, कोलार रोड–भोपाल मो. 9425870500

email : mpfsa2010@gmail.com

प्रमुख सलाहकार
श्री संदीप बिसारिया
9425870500

क्रमांक : 9/24 दिनांक : 18/11/26

प्रति,

आदरणीय श्री शिवप्रकाश जी
माननीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री
भाजपा

विषय: मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन के अध्यक्ष श्री संजय नागायच के प्रत्यक्ष संरक्षण में, उनके अनधिकृत एवं अवैध रूप से संलग्न निजी सहायक (PA) प्रदीप रावत द्वारा दीपावली के नाम पर शाखा प्रबंधकों से अवैध वसूली, बैंक खातों में ट्रांसफर और परिवार के नाम पर फर्जी अटेंडेंस के जरिए शासकीय धन के गबन की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच एवं कठोर कार्रवाई के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में आपका ध्यान एक अत्यंत गंभीर, संवेदनशील एवं संगठन की स्वच्छ छवि को धूमिल करने वाले प्रशासनिक भ्रष्टाचार की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष श्री संजय नगयाच के कार्यकाल में उनके कार्यालय और कार्यप्रणाली की आड़ में एक क्लर्क स्तर के कर्मचारी द्वारा व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग और अवैध वसूली का एक समानांतर सिंडिकेट चलाया जा रहा है।

इस संबंध में सामने आए गंभीर तथ्यों एवं संपूर्ण प्रकरण का विस्तृत विवरण प्रस्तुत है:

1. **अनधिकृत संलग्नीकरण (Attachment) और प्रशासनिक मर्यादाओं का उल्लंघन:-** श्री प्रदीप रावत मूल रूप से वन विभाग में लिपिक (क्लर्क) के पद पर पदस्थ हैं। वे कथित रूप से बालाघाट जिले के कटंगी विधायक के निजी सचिव के रूप में अपने आपको संलग्न बताते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि वे न तो कभी वन विभाग में कार्य करने जाते हैं और न ही विधायक के कार्यालय में अपनी कोई सेवा देते हैं।

   प्रदीप रावत पूरी तरह से अनधिकृत और अवैध रूप से मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन (श्री संजय नगयाच) के कार्यालय में सक्रिय रहते हैं। चेयरमैन के साथ आधिकारिक दौरों पर जाते हैं और राज्यभर में होने वाले दौरों के कार्यक्रमों में उनका नाम व मोबाइल नंबर अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में दर्ज होता है।

   स्थिति यह है कि सामान्य जनता, गोदाम मालिकों और कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को यह आभास कराया जाता है कि चेयरमैन से संपर्क करने का एकमात्र माध्यम प्रदीप रावत ही है।

   सबसे गंभीर विषय यह है कि एक बाहरी और क्लर्क स्तर का व्यक्ति निगम के संचालक मंडल (Board) की बैठकों में भी मौजूद रहा है, जिनमें केवल निगम के संचालक और वरिष्ठ अधिकारी ही शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, अध्यक्ष द्वारा ली जा रही समीक्षा बैठकों में भी वह अध्यक्ष के साथ मंच साझा करता है। बिना उच्च राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण (अध्यक्ष श्री संजय नगयाच की सीधी शह) के कोई भी कर्मचारी ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकता।

2. **दीपावली के नाम पर शाखा प्रबंधकों से अवैध वसूली (उगाही) और धमकी :-** प्रदीप रावत द्वारा दीपावली के त्योहार के नाम पर निगम की विभिन्न शाखाओं के शाखा प्रबंधकों को फोन पर भारी-भरकम राशि की मांग की गई। उसने प्रबंधकों को स्पष्ट शब्दों में धमकी दी कि "यदि पैसे नहीं भेजे, तो तुम्हारा ट्रांसफर करवा दिया जाएगा।"

   इस अनावश्यक मानसिक दबाव और भय के कारण कई शाखा प्रबंधकों ने विवश होकर प्रदीप रावत के मोबाइल नंबर और उसके भारतीय स्टेट बैंक (SBI) खाता संख्या: 30052626104 तथा क्यूआर कोड (QR Code) पर पैसे ट्रांसफर

किए, जो सीधे उसके व्यक्तिगत बैंक खाते में पहुंचे हैं। यह सीधे तौर पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के दायरे में आने वाला गंभीर अपराध है।

3. **परिवार के सदस्यों के नाम पर फर्जी अटेंडेंस और वेतन घोटाला :-** जब से श्री संजय नगयाच जी वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बने हैं, तब से प्रदीप रावत ने अपनी पहुंच और पद के दुरुपयोग की हद पार करते हुए अपने भाई और अपने बेटे (अंश रावत एवं हर्ष रावत) के नाम फर्जी रूप से निगम के कर्मचारियों की सूची में शामिल करवा लिए हैं।

   अंश रावत और हर्ष रावत कभी भी कार्यालय या काम पर नहीं आते, परंतु इसके बावजूद उनकी फर्जी उपस्थिति (हाजिरी) नियमित रूप से भिजवाई जाती है और आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से हर महीने उनके खातों में वेतन डाला जा रहा है, जो कि सीधे तौर पर शासकीय राजकोष की लूट है।

4. **अनाधिकृत कर्मचारियों और सुविधाओं की जाँच :-** संजय नगायच ने अध्यक्ष बनते ही प्राप्त होने वाली सुविधाओं का दुरुपयोग करते हुए अपने निवास पर कई सारे कर्मचारी पदस्थ रखे हैं, वाहन भी पात्रता से अधिक रखे हैं। वाहनों का शासकीय कार्य के अलावा निजी कार्यों में प्रयोग किया जाता है। टोल टैक्स विवाद के दौरान भी कार्यालय के वाहन निजी यात्रा में उपयोग किए जा रहे थे। इनकी जाँच होनी चाहिए।

निष्कर्ष एवं प्रमुख मांगें

यह स्पष्ट और अकाट्य सत्य है कि श्री संजय नगयाच जी के प्रत्यक्ष संरक्षण में प्रदीप रावत द्वारा खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है, निगम को भारी वित्तीय क्षति पहुंचाई जा रही है और चेयरमैन के नाम का दुरुपयोग करके कर्मचारियों, प्रबंधकों तथा गोदाम मालिकों से अवैध वसूली की जा रही है। इससे पार्टी और शासन की साख पर बट्टा लग रहा है।

अतः प्रकरण की आद्योपांत गंभीरता को देखते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर तत्काल उच्च स्तरीय व निष्पक्ष जांच कराई जाए:

1. अध्यक्ष की भूमिका की जांच: श्री संजय नगयाच जी के संरक्षण और संलिप्तता की निष्पक्ष जांच की जाए कि आखिर किस अधिकार के तहत एक बाहरी व क्लर्क कर्मचारी को अध्यक्ष कार्यालय में अनधिकृत रूप से रखा गया है।
2. मूल नियुक्ति एवं अवैध संलग्नीकरण की जांच: श्री प्रदीप रावत की मूल नियुक्ति कहां है, वे वर्तमान में वास्तविक रूप से कहां कार्यरत हैं और वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन में किस आदेश के तहत हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसकी गहन जांच हो।

3. अवैध वसूली एवं बैंक खातों की जांच: प्रदीप रावत द्वारा कर्मचारियों और शाखा प्रबंधकों को डरा-धमकाकर अपने बैंक खाते (SBI खाता क्र. 30052626104) में लिए गए पैसों की तथा संबंधित अवधि के सभी संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की सक्षम प्राधिकारी से जांच कराई जाए।
4. गोपनीय बयान: जिन शाखा प्रबंधकों और कर्मचारियों से राशि की मांग की गई है या जिन्हें ट्रांसफर की धमकी दी गई है, उनके बयान पूरी तरह गोपनीय रूप से दर्ज किए जाएं।
5. फर्जी अटेंडेंस घोटाले की जांच: प्रदीप रावत द्वारा अपने भाई और बेटे (अंश रावत एवं हर्ष रावत) के नाम पर फर्जी हाजिरी भिजवाकर लगातार वेतन प्राप्त करने के वित्तीय घोटाले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच हो।
6. सुरक्षा एवं संरक्षण: जांच पूरी होने तक किसी भी शिकायतकर्ता कर्मचारी पर किसी प्रकार का दबाव, उत्पीड़न या ट्रांसफर की कार्रवाई न की जाए और दोषी पाए जाने पर अध्यक्ष व प्रदीप रावत दोनों के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक व कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

संदीप बिसारिया